



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112023-250249  
CG-DL-E-24112023-250249

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945

No. 773]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2023

फा. सं. एनईआईजीआर-ई.III/5/2022.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में निम्न ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

नर्सिंग अनुभाग	
क्रम सं	पद का नाम
1	मुख्य नर्सिंग अधिकारी
2	नर्सिंग अधीक्षक
3	उप नर्सिंग अधीक्षक
4	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी
5	नर्सिंग अधिकारी
केंद्रीय पुस्तकालय अनुभाग	
1	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (तत्कालीन पुस्तकालयाध्यक्ष)
2	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (तत्कालीन सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष)
3	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (तत्कालीन वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक)

भंडार एवं खरीद अनुभाग	
1	भंडार अधिकारी (तत्कालीन भंडार एवं खरीद अधिकारी)
2	सहायक भंडार अधिकारी
3	स्टोर कीपर
सांख्यिकीय अनुभाग	
1	सांख्यिकीविद् सह व्याख्याता
2	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी
3	सांख्यिकी अधिकारी
4	सांख्यिकी सहायक
आहार इकाई	
1	मुख्य आहार विशेषज्ञ (तत्कालीन मुख्य आहार विशेषज्ञ एवं पोषण अधिकारी)
2	वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ (तत्कालीन उप मुख्य आहार विशेषज्ञ)
3	आहार विशेषज्ञ
4	सहायक आहार विशेषज्ञ
हाउसकीपिंग अनुभाग	
	वार्डन/महिला वार्डन

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप 'ए' वी 'बी' पद भर्ती संशोधन नियम, 2023 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता** – वह व्यक्ति-
  - जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
  - जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
मुख्य नर्सिंग अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिरीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)	<p><b>पदोन्नति:</b> संस्थान के नर्सिंग अधीक्षक जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 11 के ग्रेड में 5 (पाँच) वर्षों की नियमित सेवा दे चुके हैं।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p><b>क)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; अथवा</li> <li>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 या उसके समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ</li> </ol> <p><b>ख)</b></p> <p>निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बी.एससी. नर्सिंग।</li> </ol>

				<p>2. भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकृत हो।</p> <p>3. काम का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष नर्सिंग अधीक्षक के रूप में या नर्सिंग प्रशासन में समान क्षमता रखने वाले किसी पद में हो। नर्सिंग में एम.एससी. डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	--	---

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
<p>1. निदेशक, नीग्रिम्स - अध्यक्ष</p> <p>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव - सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
नर्सिंग अधीक्षक	03* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स 11 का स्तर	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: संस्थान के उप नर्सिंग अधीक्षक जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 10 के ग्रेड में 5 (पाँच) वर्षों की नियमित सेवा दे चुके हैं।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
<ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
उप नर्सिंग अधीक्षक	19* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स 10 का स्तर	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
1. लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 8 में 4 (चार) वर्षों की नियमित सेवा दे चुके हैं।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
<ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, नीग्रिम्स - अध्यक्ष</li> <li>मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी	175* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 8 का स्तर	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति	पदोन्नति: संस्थान के नर्सिंग अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 7 के ग्रेड में 5 (पाँच) वर्षों की नियमित सेवा दे

			<p>द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)</p> <p>चुके है।  <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त संगठन/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:  <b>क)</b>  1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; अथवा  2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल <b>07</b> या उसके समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में <b>05</b> वर्ष की सेवा के साथ -  <b>ख)</b>  निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:  1. भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.एससी. नर्सिंग।  अथवा  भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से बीएससी (पोस्ट-सर्टिफिकेट) या उसके समकक्ष जैसे बी.एससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) की डिग्री।  2. भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।  <b>टिप्पणी:</b>  प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	---

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	लागू नहीं

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
नर्सिंग अधिकारी	740* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 7 का स्तर	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>1. भारतीय नर्सिंग काउंसिल/राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से बी.एससी. (ऑनर्स) नर्सिंग/बी.एससी नर्सिंग। अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से बी.एससी (पोस्ट-सर्टिफिकेट) या उसका समकक्ष डिग्री जैसे बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)। अथवा शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 50 बेड वाले अस्पताल में 2 साल के अनुभव के साथ भारतीय नर्सिंग काउंसिल / राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त</p>	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं



संस्थान / बोर्ड या काउंसिल से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा। 2° भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।				
---	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स 10 का स्तर	पदोन्नति के मामले में चयनित। सीधे भर्ती के मामले में लागू नहीं।	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
आवश्यक: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से	नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत	पदोन्नति न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा	पदोन्नति: सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में 05

<p>पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री:</p> <p>ii) केंद्र/ राज्य सरकार/ स्वायत्त या वैधानिक संगठन /पीएसयू /विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के तहत पुस्तकालय में पाँच साल का कार्य अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>i) केंद्र/राज्य सरकार/ स्वायत्त या वैधानिक संगठन /पीएसयू/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के तहत पुस्तकालय में पुस्तकालय गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने का एक वर्ष का अनुभव</p> <p>ii) विभाग/ मंत्रालय की गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे तकनीकी या वैज्ञानिक, यदि कोई हो, में एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, जिसे आरआर तैयार करते समय निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।</p> <p>iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।</p>		<p>उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष</p>	<p>और उसके भी न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जिन्होंने:</p> <p>ए)</p> <p>1° मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो ;</p> <p>अथवा</p> <p>2. नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड लेवल 7/8 या मूल कैडर/विभाग में उसके समकक्ष वेतन मैट्रिक्स में 4 या 5 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो ;</p> <p>बी)</p> <p>कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
---	--	-----------------------------------	---	---

<p>यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p>
<p>12</p>	<p>13</p>
<p>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p>	<p>लागू नहीं</p>

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 7 का स्तर	पदोन्नति के मामले में चयनित। सीधे भर्ती के मामले में लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<b>आवश्यक:</b> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री: ii) केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त या वैधानिक संगठन/पीएसयू/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के तहत पुस्तकालय में तीन साल का कार्य अनुभव।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा	<b>पदोन्नति:</b> पुस्तकालय एवं सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में 05 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/ उप सचिव 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	— अध्यक्ष — सदस्य सदस्य
	लागू नहीं

(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ	- सदस्य*
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य	- सदस्य
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स	-सदस्य सचिव
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 6 का स्तर	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<b>आवश्यक:</b> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री: ii) केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त या वैधानिक संगठन/पीएसयू/विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के तहत पुस्तकालय में दो साल का कार्य अनुभव।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स	- अध्यक्ष
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/ उप सचिव	- सदस्य
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	- सदस्य
	लागू नहीं

(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ	- सदस्य*
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य	- सदस्य
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स	-सदस्य सचिव
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
भंडार अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स 10 का स्तर	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित) द्वारा	<p><b>पदोन्नति:</b> सहायक भंडार अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 7 में 05 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई डिग्री प्राप्त की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जिन्होंने :</p> <p>ए)</p> <p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो :</p> <p>अथवा</p> <p>2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 08/07 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 04/05 वर्ष की सेवा प्रदान की हो तथा</p> <p>बी)</p>

				<p>निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:</p> <p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष:</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष: तथा</p> <p><b>टिप्पणी:</b> प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
<p>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p> <p>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</p> <p>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक भंडार अधिकारी	03* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स-7 का स्तर	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: स्टोर कीपर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 6 में 05 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
स्टोर कीपर	33* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स- 6 का स्तर	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिचीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<b>आवश्यक:</b> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री: ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन/भंडारण प्रबंधन/क्रय/लॉजिस्टिक्स/सार्वजनिक खरीद में डिप्लोमा/डिग्री	लागू नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकीविद् सह व्याख्याता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स- 10 का स्तर	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<b>आवश्यक:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ सांख्यिकी/जैवसांख्यिकी या गणित/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। साथ ही पाठ्यक्रम में सांख्यिकी विषय का एक पेपर रहा हो।</li> <li>2. किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा सह शिक्षण संस्थान में</li> </ol>	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं



2 (दो) वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान का अनुभव। वांछनीय : i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन/डेमोग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया हो। ii) सांख्यिकी में पीएच.डी किया हो।				
--	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स - अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव - सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स- 11 का स्तर	पदोन्नति के मामले में चयन। प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं।	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त	नहीं	सीधी	पदोन्नति द्वारा और	पदोन्नति: संस्थान के सांख्यिकी

<p>विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किया हो।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीसीए) प्राप्त किया हो।</p> <p>3. किसी चिकित्सा संस्थान में विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकीय कार्य में 5 (पाँच) वर्ष का अनुभव रहा हो।</p>		<p>भर्ती वालों के लिए 2 साल</p>	<p>उसके विफल होने की स्थिति पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा। उक्त दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में पाँच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जिन्होंने :</p> <p>ए)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो ; या</li> <li>2. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पाँच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा बी) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए</li> </ol> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
---	--	---------------------------------	--	---

<p>यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p>
<p>12</p>	<p>13</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	<p>लागू नहीं</p>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी अधिकारी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स-10 का स्तर	पदोन्नति के मामले में चयन। प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं।	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
<p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किया हो।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीसीए) प्राप्त किया हो।</p> <p>3. विशेषकर किसी चिकित्सा संस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकीय कार्य में 2 (दो) वर्ष का अनुभव रहा हो।</p>	नहीं	सीधी भर्ती व पदोन्नत उम्मीदवारों के लिए 2 साल	पदोन्नति द्वारा और उसके विफल होने की स्थिति पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा। उक्त दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>पदोन्नति:</b> संस्थान के सांख्यिकी सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में दस साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जिन्होंने:</p> <p>ए)</p> <p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो :</p> <p>अथवा</p> <p>2. पे मैट्रिक्स के लेवल या मूल कैडर/विभाग के समकक्ष में नियुक्ति के बाद ग्रेड 07/06 में क्रमशः 05 या 10 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो और साथ ही बी) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता</p>

				<p>प्राप्त की हो।</p> <p><b>टिप्पणी:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>
--	--	--	--	---

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी सहायक	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स-06 का स्तर	लागू नहीं।	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
---	--	----------------------------	--	--

7	8	9	10	11
<b>आवश्यक:</b> 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित / अर्थशास्त्र / समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही पाठ्यक्रम में सांख्यिकी विषय का एक पेपर रहा हो। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्राप्त की हो।	नहीं	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
1. निदेशक, नीग्रिम्स - अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव - सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
मुख्य आहार विशेषज्ञ	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	समग्र विधि द्वारा: प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आईएसटीसी)/पदोन्नति:

			<p>(अल्पकालिक अनुबंध)/पदोन्नति द्वारा</p>	<p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी- (ए)</p> <p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना: या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा के साथ और (बी) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव-</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी</p> <p>2. न्यूनतम 300 बेड युक्त किसी अस्पताल में आहार विशेषज्ञ के रूप में 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</p> <p><b>वांछित:</b></p> <p>मानव पोषण या चिकित्सीय आहारशास्त्र में पीएच.डी।</p> <p><b>नोट:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 में विभागीय उम्मीदवार (वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ) को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p>
--	--	--	---	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
<p>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</p> <p>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</p> <p>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</p>	लागू नहीं

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स 10 का स्तर	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
2. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	समग्र विधि द्वारा: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध)/पदोन्नति द्वारा	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध आईएसटीसी)/पदोन्नति:</p> <p>केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी- (ए)</p> <p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना: या</p> <p>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा के साथ और (बी) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव -</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी</p> <p>2. न्यूनतम 300 बेड युक्त किसी अस्पताल में आहार विशेषज्ञ के रूप में 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</p> <p><b>वांछित:</b></p> <p>मानव पोषण या चिकित्सीय आहारशास्त्र में पीएच.डी।</p>

				<p><b>नोट:</b> केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 में विभागीय उम्मीदवार (आहार विशेषज्ञ) को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p>
--	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
आहार विशेषज्ञ	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7	पदोन्नति पर चयन	लागू नहीं



सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
3. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा	<p><b>पदोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान करने वाले वाले संस्थान के सहायक आहार विशेषज्ञ ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>ए.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना: या</li> <li>2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा और बी. निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव -</li> </ol> <p><b>आवश्यक:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी</li> <li>2. किसी अस्पताल में आहार विशेषज्ञ के रूप में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</li> </ol> <p><b>नोट:</b></p> <p>केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं</p>

				होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक आहार विशेषज्ञ	03* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी अथवा	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

डायटेटिक्स में पीजी डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य और पोषण/ गृह विज्ञान में बी.एससी / क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट व डायटेटिक्स में एम.एससी की डिग्री प्राप्त करना।				
--	--	--	--	--

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>निदेशक, नीग्रिम्स - अध्यक्ष</li> <li>मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वार्डन/महिला वार्डन	07* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 6 का स्तर	पदोन्नति के मामले में चयन। सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की	लागू नहीं	सीधे भर्ती और पदोन्नत	पदोन्नति द्वारा, 50% और ऐसा न हो पाने	पदोन्नति: हाउसकीपर पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 5 में

डिग्री प्राप्त की हो। 2 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट/हाउसकीपिंग/मटेरियल मैनेजमेंट/पब्लिक रिलेशन/एस्टेट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त की हो।		उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष	की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।  सीधी भर्ती द्वारा 50%	छह साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।
--	--	----------------------------	---	-------------------------------------

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?		भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
<b>12</b>		<b>13</b>
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (एनई)/अनुभाग अधिकारी (एनई)- सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि- सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)		लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक नीग्रिम्स

[विज्ञापन-III/4/असा./555/2023-24]

**NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES,  
SHILLONG**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2023

**F. No. NEIGR-E.III/5/2022.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, to the following Group A & B posts namely:-

<b>Nursing Section</b>	
Sl.No	Name of post
1	Chief Nursing Officer
2	Nursing Superintendent
3	Deputy Nursing Superintendent
4	Senior Nursing Officer
5	Nursing Officer
<b>Central Library Section</b>	
1	Library & Information Officer (erstwhile Librarian)
2	Assistant Library & Information Officer (erstwhile Assistant Librarian)
3	Library & Information Assistant (erstwhile Senior Library & Information Assistant)
<b>Store &amp; Procurement Section</b>	
1	Stores Officer (erstwhile Store & Procurement Officer)
2	Assistant Stores Officer

3	Store Keeper
<b>Statistical Section</b>	
1	Statistician cum Lecturer
2	Senior Statistical Officer
3	Statistical Officer
4	Statistical Assistant
<b>Dietary Unit</b>	
1	Chief Dietician (erstwhile Chief Dietician & Nutrition Officer),
2	Senior Dietician (erstwhile Deputy Chief Dietician),
3	Dietician
4	Assistant Dietician
<b>Housekeeping Section</b>	
	Warden / Lady Warden

**1. Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group – A & B posts Recruitment amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification** – No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

**5. Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

**6. Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chief Nursing Officer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 12 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))	<p><b>Promotion:</b> Nursing Superintendent of the Institute in Level – 11 of the Pay Matrix with 5 (five) years regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University / Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or</li> <li>2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and</li> </ol> <p><b>B.</b></p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council recognized Institute / University.</li> <li>2. Should be registered with the Indian Nursing Council / State Nursing Council.</li> </ol> <p>Not less than 15 years' experience in the profession out of which 5 years should be as Nursing Superintendent or in similar capacity in Nursing Administration. Preference shall be given to those possessing M.Sc. in Nursing</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-	Age limit for direct
------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------

				selection post	recruits
1	2	3	4	5	6
Nursing Superintendent	03* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% By promotion	<b>Promotion:</b> Deputy Nursing Superintendent in Level – 10 in the Pay Matrix with five years' regular service in the Grade.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Nursing Superintendent	19* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years for Promotees	100% By promotion	<b>Promotion:</b> Senior Nursing Officer in Level – 8 of Pay Matrix with 4 (four) years' regular service in the Grade.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Nursing Officer	175* (2023) *Subject to dependent workload	Group 'B'	Level – 8 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))	<b>Promotion:</b> Nursing Officer in Level – 7 in the Pay Matrix with 5 years regular service in the Grade. <b>Deputation:</b> Officers of the Central Government / State Governments / Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution: <b>A.</b> 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre / department or 2. With 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 07 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department and <b>B.</b> Possessing the following educational qualification: 1. B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council recognized Institute / University. OR B.Sc. (Post-certificate) or equivalent



				<p>such as B.Sc Nursing (Post Basic) from an Indian Nursing Council recognized Institute / University</p> <p>2. Should be registered as Nurses &amp; Midwife with the Indian Nursing Council / State Nursing Council</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
<b>12</b>	<b>13</b>
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Nursing Officer	740* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level - 7 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> 1. B.Sc. (Hons.) Nursing/ B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute / University. OR B.Sc (Post-Certificate) or equivalent	Not applicable	Two years for direct recruits	By Direct Recruitment	Not Applicable

such as B.Sc. Nursing (Post Basic) from an Indian Nursing Council / State Nursing Council recognized Institute/ University. OR Diploma in General Nursing Midwifery from an Indian Nursing Council / State Nursing Council recognized Institute / Board or Council with 2 years' experience in minimum 50 bedded Hospital after acquiring the educational qualification 2. Should be registered as Nurses & Midwife with the Indian Nursing Council / State Nursing Council				
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

#### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Library & Information Officer	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of the Pay Matrix	Selection in case of Promotion Not Applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> i. Master's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University / Institute:	No	Two years for direct recruit and promotee	Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by direct recruitment	<b>Promotion:</b> Assistant Library & Information Officer in Level 7 of Pay Matrix with 05 years' of regular service in the Grade. <b>Deputation:</b> Officers of the Central Government / State

<p>ii. Five years' professional experience in a Library under Central/State Government / Autonomous or Statutory organization/ PSU/ University or Recognized Research or Educational Institution</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>i. One year experience of computerizing Library activities in a Library under Central/State Government / Autonomous or Statutory organization/ PSU/University or recognized Research or educational Institution</p> <p>ii. One year Professional experience in the specific areas of activities of the Department / Ministry viz technical or scientific, if any, to be specified at the time of framing RRs</p> <p>iii. Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.</p>	s		<p>Governments / Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b></p> <p>1. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; <b>or</b></p> <p>2. with 05/04 years' regular service in the grade rendered after appointment in Level 7/8 respectively of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p><b>B.</b></p> <p>Possess educational qualification prescribed under column 7.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	---	--	---

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
<p>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</p> <p>2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member</p> <p>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member</p> <p>4. An expert in the relevant subject - Member*</p> <p>5. A co-opted member from SCs/STs - Member*</p> <p>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</p> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Library & Information Officer	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level - 07 of Pay Matrix	Selection in case of Promotion Not Applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University / Institute (ii) Three years' professional experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory Organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution	No	Two years for Direct Recruit	By Promotion failing which by Direct Recruitment	<b>Promotion:</b> Library & Information Assistant in Level 6 of Pay Matrix with 05 years' of regular service in the Grade.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Library & Information Assistant	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University / Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory Organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution	No	Two years for Direct Recruit	By Direct Recruitment	Not applicable

<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>12</b>	<b>13</b>
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Stores Officer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 10 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By Promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))	<b>Promotion:</b> Assistant Stores Officer in Level - 7 of Pay Matrix with 05 years' of regular service and possess Post Graduate Degree/Diploma in Materials

				<p>Management of a recognized University/Institution or equivalent.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government / State Governments / Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory bodies / Public Sector Undertaking /University/ Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b></p> <p>1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre / department : or</p> <p>2. With 04/05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 08/07 respectively of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department and</p> <p><b>B.</b></p> <p>Possessing the following educational qualification:</p> <p>1. Degree of a recognized University or equivalent:</p> <p>2. Post Graduate Degree / Diploma in Materials Management of a recognized University / Institution or equivalent: and</p> <p><b>Note:</b></p> <p>The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>
--	--	--	--	---

<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>12</b>	<b>13</b>
<p>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</p> <p>2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member</p> <p>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member</p> <p>4. An expert in the relevant subject - Member*</p> <p>5. A co-opted member from SCs/STs - Member*</p> <p>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary</p> <p>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</p>	Not applicable

<b>Name of the post</b>	<b>Number of post</b>	<b>Classification</b>	<b>Level in the Pay Matrix</b>	<b>Whether selection post or non-selection post</b>	<b>Age limit for direct recruits</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Assistant Stores Officer	03* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 7 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% By promotion	<b>Promotion:</b> Store Keeper in Level – 6 of Pay Matrix with 5 (five) years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Store Keeper	33* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> 1. Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent 2. Diploma / Degree in Materials Management / Warehousing Management / Purchasing /	Not applicable	2 (two) years for direct recruits	By Direct Recruitment	Not Applicable

Logistics / Public Procurement from recognized University / Institute				
---	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Statistician Cum Lecturer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government from time to time)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> 1. Post Graduate Degree in Statistics / Biostatistics or in Mathematics / Economics with Statistics as a paper with minimum 55% from a recognized University or Institution 2. Teaching/research experience of 2 (two) years in a recognized Medical cum teaching Institute <b>Desirable:</b> i. Post Graduate Diploma in	No	2 years for direct recruits	Direct Recruitment	Not applicable



Computer Application / Demography from a recognized Institution ii. Ph.D in Statistics				
---	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Statistical Officer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level - 11 of Pay Matrix	Selection in case of promotion Not applicable in case of deputation / direct recruitment	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Govt. from time to time)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
1. Post Graduate degree in Statistics from a recognized University 2. Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) from a recognized Institution. 3. 5 (five) years' experience in Statistical work related to the field of health	No	2 (two) years for direct recruit	Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by direct recruitment	<b>Promotion:</b> Statistical Officer of the Institute in Level 10 of Pay Matrix with five years of regular service in the grade. <b>Deputation:</b> Officers of the Central Govt./State Government/ Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory Bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution: <b>A.</b> 1. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or 2. With five years' regular

preferably in a Medical Institute				<p>service in the grade rendered after appointment in Level 10 of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department and</p> <p><b>B.</b> Possess educational qualification prescribed under column 7</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.</p>
-----------------------------------	--	--	--	---

<b>If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment</b>
<b>12</b>	<b>13</b>
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

<b>Name of the post</b>	<b>Number of post</b>	<b>Classification</b>	<b>Level in the Pay Matrix</b>	<b>Whether selection post or non-selection post</b>	<b>Age limit for direct recruits</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Statistical Officer	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Selection in case of promotion Not applicable in case of deputation / direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government from time to time)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
1. Post Graduate degree in Statistics from a recognized University. 2. Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) from a recognized Institution. 3. 2 (two) years' experience in statistical work related to the field of health preferably in a Medical Institute	No	2 (two) years for direct recruit & Promotees	Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by direct recruitment	<p><b>Promotion:</b> Statistical Assistant of the Institute in Level 6 of Pay Matrix with 10 (ten) years of regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations / Statutory Bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution</p> <p><b>A.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department: or</li> <li>With 05/10 years' regular service in the grade rendered after appointment in Level 07/06 of Pay Matrix respectively, or equivalent in the parent cadre / department and</li> </ol> <p><b>B.</b> Possess educational qualification prescribed under column 7.</p> <p><b>Note:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application</p>

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the	Not applicable

Institute in the Ministry - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC) Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Statistical Assistant	04* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> 1. Bachelor's Degree in Statistics or in Mathematics / Economics / Sociology with Statistics as one of the papers from a recognized University 2. Diploma in Computer Application from a recognized Institute	No	Two years for Direct Recruit	By Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chief Dietician	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 11 of the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<p><b>By Composite Method:</b> Deputation (including short term contract)/ Promotion</p>	<p><b>Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) / Promotion:</b> Officers of the Central Government/ State Government / Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies / Public Sector Undertaking</p> <p>(a) 1. holding analogous post on a regular basis in the parent cadre /department: or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and</p> <p>(b) Possess the following educational qualification and experience</p> <p><b>Essential:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M.Sc. in food &amp; Nutrition/ Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition &amp; Dietetics / M.Sc. Food Service Management &amp; Dietetics from a recognized University</li> <li>2. 10 years of practical experience as Dietician in a minimum 300 bedded hospital.</li> </ol> <p><b>Desirable:</b> Ph.D in Human Nutrition or Therapeutic Dietetics</p> <p><b>Note:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. If the Departmental Candidate (Senior Dietician) in Level-10 of Pay Matrix</p>

				with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
<b>12</b>	<b>13</b>
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary - Member looking after the work of the Institute in the Ministry 3. Representative of North Eastern Council (NEC), - Member Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Dietician	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 10 of the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	<b>By Composite Method:</b> Deputation (including short term contract)/ Promotion	<b>Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) / Promotion:</b> Officers of the Central Government / State Government / Union Territories / Autonomous Organizations/Statutory bodies /Public Sector Undertaking (a) 1. holding analogous post on a regular basis in the parent cadre /department: or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-7 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and (b) Possess the following educational qualification and experience <b>Essential:</b> 1. M.Sc. in Food & Nutrition/

				<p>Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition &amp; Dietetics / M.Sc. Food Service Management &amp; Dietetics from a recognized University</p> <p>2. 5 Years of practical experience as Dietician in a minimum 300 bedded hospital.</p> <p><b>Desirable:</b> Ph.D in Human Nutrition or Therapeutic Dietetics</p> <p><b>Note:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>If the Departmental Candidate (Dietician) in Level-7 of Pay Matrix with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p>
--	--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
<b>12</b>	<b>13</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary)</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Dietician	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 7 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by Deputation (ISTC)	<p><b>Promotion:</b> From Assistant Dietician of the Institute with five years' regular service in Level – 6 of Pay Matrix</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government / State Government / Union Territories / Autonomous Organizations/Statutory bodies /Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:</p> <p><b>A.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre /department: or</li> <li>2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-6 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and</li> </ol> <p><b>B.</b> Possess the following educational qualification and experience</p> <p><b>Essential:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M.Sc. in Food &amp; Nutrition/ Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition &amp; Dietetics / M.Sc. Food Service Management &amp; Dietetics from a recognized University</li> <li>2. 3 Years of practical experience as Dietician in a hospital.</li> </ol> <p><b>Note:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, NEIGRIHMS - Chairman</li> <li>2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member</li> </ol>	Not applicable



Shillong (Not below the rank of Under Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
--	--

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Dietician	03* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> M.Sc. in Food & Nutrition/ Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics / M.Sc. Food Service Management & Dietetics from a recognized University <b>OR</b> B.Sc in Food & Nutrition / Home Science / M.Sc Clinical Nutrition & Dietetics/ M.Sc. Food Service Management & Dietetics with PG.Diploma in dietetics from a recognized University	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member Shillong (not below the rank of Under Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Warden / Lady Warden	07* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 06 of Pay Matrix	Selection in case of promotion Not applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
<b>Essential:</b> 1. Bachelor's Degree from a recognized University 2. Certificate / Diploma in Hotel Management / Housekeeping / Material Management / Public Relation / Estate Management from a government recognized Institute / University	Not applicable	Two years for direct recruit and promotees	50% By promotion failing which by direct recruitment  50% By Direct Recruitment	<b>Promotion:</b> Housekeeper in Level – 5 of Pay Matrix with six years' of regular service in the Grade

If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member Shillong (not below the rank of Under Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Administration) NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS

[ADVT.-III/4/Exty./555/2023-24]